230/07

25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

417644

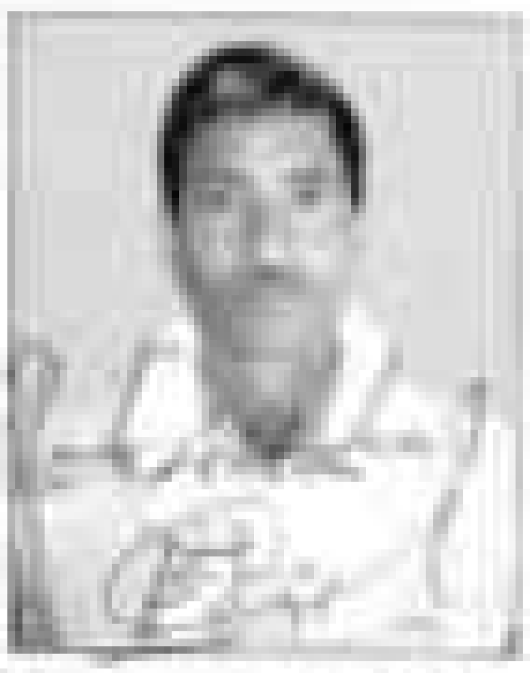

।। जय माँ शाकुम्भरी ।।

1. भूमि का प्रकार : (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/शैक्षणिक/अन्य) : कृषि
2. वार्ड परगना : मथुरा।
3. मोहल्ला/ग्राम : मौजा जलाल तहसील व जिला मथुरा।
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं.) : कृषि
5. मापन की इकाई : एकड़
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : रकबा 1.191 हैक्टेयर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) : मुख्य मार्ग से दूर स्थित है।
8. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है – : नहीं
9. प्रतिफल की धनराशि : 20,12,000/-रुपये में
10. मालियत : 7,36,000/-रु.
11 देय स्टाम्प : 1,61,000/-रु

INDIA NON JUDICIAL

25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 417645

(2)

12. उक्त क्षेत्र की कृषि भूमि का सरकारी रेट - 2,50,000/-रुपया प्रति एकड़। जो अंकित विशेष दर सूची के पेज नं. 29 क्रमांक 19 पर दर्ज है।

13. कार्य क्षेत्र उपनिबन्धक द्वितीय मथुरा।

प्रथम पक्ष की संख्या : (1)

विक्रेता का विवरण

नाम : कले सिंह पुत्र श्री लक्ष्मन निवासी ग्राम [illegible] तहसील व जिला मथुरा।

पेशा : कृषि

द्वितीय पक्ष की संख्या : (1)

क्रेता का विवरण

नाम : श्री वैष्णव शिक्षा विकास समिति रजि० द्वारा श्री राम अवतार अग्रवाल पुत्र श्री शिवचरनलाल अग्रवाल व श्री नीरज अग्रवाल पुत्र श्री रवीन्द्रनाथ निवासीगण, कमला नगर आगरा।

पेशा : कारोबार।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 417646

(3)

हम कि [illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] निवासी ग्राम जलाल तहसील व जिला मथुरा, विक्रेता प्रथम पक्ष व श्री [illegible] शिक्षा विकास समिति रजि0 द्वारा श्री राम अवतार अग्रवाल पुत्र श्री शिवचरनलाल अग्रवाल व श्री नीरज अग्रवाल पुत्र श्री रवीन्द्रनाथ निवासीगण, कमला नगर आगरा, क्रेता द्वितीय पक्ष के है।

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता सं. 62 खसरा सं. 19 रकबा 0.397 हैक्टेयर लगानी 6.40/-रु. सालाना व खाता सं. 63 खसरा सं. 18 रकबा 0.397 हैक्टेयर लगानी 6.50/-रु. सालाना व खाता सं. 73 खसरा सं. 20 रकबा 0.397 हैक्टेयर लगानी 6.45/-रु. सालाना, कुल तीन किता कुल रकबा 1.191 हैक्टेयर, स्थित मौजा जलाल तहसील व जिला मथुरा,

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 417647

1 MAR 2007

[illegible]

(4)

सम्पूर्ण अंश, जिसका नक्शा संलग्न है, प्रथम पक्ष की आराजी भूमिधरी है, जिस पर प्रथम विक्रेता पक्ष का ही कब्जा है, जिस पर प्रथम पक्ष विक्रेता का ही कब्जा है तथा उक्त आराजी पर प्रथम पक्ष विक्रेता बहैसियत मालिक, काबिज व दाखील चले आते है तथा प्रथम पक्ष विक्रेता का ही नाम राजस्व अभिलेखों व सरकारी कागजात में दर्ज है। सिवाय प्रथम पक्ष विक्रेता के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और न किसी प्रकार रहन व गिरवी आदि है तथा प्रथम पक्ष को उक्त आराजी की बाबत पूरे मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है तथा उक्त आराजी किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक नहीं है और न किसी डिग्री में नीलाम या कुर्क है और ऐसा कोई वाजिब अथवा वस्तु नहीं है, जो उक्त आराजी के बेचने या हस्तान्तरण आदि करने में बाधा

INDIA NON JUDICIAL

25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 417648

1 MAR 2007

(5)

या रूकावट डाल सके और न ही प्रथम पक्ष ने उक्त आराजी की बाबत उक्त इकरारनामा किसी से तय तय किया है। यानि हर प्रकार के झगड़े झंझट व कर्जे आदि से पाक साफ तथा प्रथम पक्ष की ही आराजी है। उक्त आराजी से प्रथम पक्ष को कोई खास लाभ व आय नहीं है तथा काश्त से भी अच्छी आय नहीं हो पाती है और विक्रेता को अपने व अपने परिवार की जरूरतों के लिए धन की आवश्यकता है। अतः प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपनी उक्त आराजी भूमिधरी रकबा 1.191 हैक्टेयर को विक्रय कर देना उचित समझा है। उक्त आराजी के विक्रय से प्राप्त धनराशि को कहीं और निवेश कर देने से प्रथम पक्ष को एक अच्छी व नियमित आय हो जायेगी और इस समय द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को अच्छी कीमत देकर क्रय करने को तैयार है, इस कीमत में बेच देने में प्रथम पक्ष विक्रेता का सरासर लाभ है।

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

417649

- 1 MAR 2007
Sr. T.O. Mathura

(6)

कुलपि उक्त आराजी भूमिधरी रकबा 1.191 हैक्टेयर को समस्त अधिकारों सहित जो प्रथम पक्ष को प्राप्त है अथवा भविष्य में प्राप्त हो वाकि कुल को बिना छोड़े किसी भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के समस्त राईट्स व इन्ट्रेस्ट व टाईटिल के व समस्त हकूक व अधिकारों सहित तहसुबी बाजारी कीमत बकीमत 20,12,000/-रु. (बीस लाख बारह हजार रुपये) कि जिसके आधे 10,06,000/-रु. (दस लाख छै हजार रुपये) होते हैं बदस्त श्री वैष्णुधर शिक्षा विकास समिति रजि० द्वारा श्री राम अवतार अग्रवाल पुत्र श्री गिरधरलाल अग्रवाल व श्री नीरज अग्रवाल पुत्र श्री [illegible], क्रमशः नगर आगरा, क्रेता द्वितीय पक्ष के हक में बेच दी और बिक्री कर दी और कीमत का कुल रुपया प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से नगद बवक्त रजिस्ट्री प्राप्त कर कब्जा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 687317

1 MAR 2007

(7)

व दखल बेची गयी आराजी पर खरीदार द्वितीय पक्ष का प्रथम पक्ष ने वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया। द्वितीय पक्ष बेची गयी उक्त आराजी रकबा 1.191 हैक्टेयर सम्पूर्ण अंश रकबा का आज से एकमात्र मालिक व स्वामी हो गया। वह समस्त अधिकार मालिकाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे और जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे और जो चाहे सो करे तथा अपना नामान्तरण सरकारी कागजात व समस्त अभिलेखों में प्रथम पक्ष के स्थान पर दर्ज कराले। अब बेची गयी उक्त आराजी में प्रथम पक्ष व उसके वारिसों का कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न कभी आइन्दा भविष्य में कदापि होगा। अगर कभी कोई खलल बेची गयी आराजी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 687085

की बाबत दावा या झगड़ा उत्पन्न करे और कुछ या कुल कब्जा आराजी का द्वितीय पक्ष क्रेता से निकल जावे या कोई रहन आदि निकले और उसकी बाबत द्वितीय पक्ष को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े तो प्रथम पक्ष की पूरी जिम्मेदारी होगी। द्वितीय पक्ष अपना कीमत का दिया गया रुपया मय हर्जा खर्चा व लागत व अदा खर्च किये गये रुपयों को मय सूद के प्रथम पक्ष व उसकी हर प्रकार की चल अचल सम्पत्ति से बाजाप्ता बजरिये अदालत प्राप्त कर ले, इसमें प्रथम पक्ष विक्रेता व उसके वारिसों को कुछ उज्र न होगा। बेची गयी आराजी अन्तर्गत विकास शुल्क क्षेत्र के बाहर स्थित है तथा मुख्य मार्ग से दूर स्थित है। बेची गयी आराजी का बाजारी मूल्य 20,12,000/-रु. है तथा स्टाम्पशुल्क सम्पत्ति के बाजारी मूल्य पर अदा किया जा रहा है और उक्त क्षेत्र की आराजी का

सरकारी रेट 2,50,000/-रु. प्रति एकड़ का होने के कारण मालियत – 7,36,000/-रु. है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा विक्रेता ने उक्त आराजी भूमिधरी को विक्रय करने की बाबत कार्यालय जिलाधिकारी मथुरा जिला भूमि व्यवस्था अनुभाग के यहाँ से अनुमति पत्र सं. 410/सात-बी/भू0व्य0/2007 दिनांक 07.03.2007 के द्वारा परमीशन प्राप्त कर ली है।

500Rs

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

इसलिए यह बैनामा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में अपनी राजी खुशी से लिख दिया, कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। यह प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार समस्त जानकारी उन्हें पढ़ा व सुनाकर ड्राफ्ट व टाईप किया गया है।

दिनांक : 07.03.2007

टाईप किया : के० के० शर्मा, भगवान कोठी रोड, जिला पंचायत, मथुरा।

ड्राफ्ट किया : भारतेन्द्र कुमार गौतम एडवोकेट, रजिस्ट्री कार्यालय मथुरा।

आज दिनांक **07/03/2007** को

बही सं **1** जिल्द सं **2236**

पृष्ठ सं **153** से **174** पर क्रमांक **2350**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

[illegible] सिंह

उप निबन्धक (द्वितीय)

मथुरा

7/3/2007